

न्यायालय अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

मंडल टुडू
वनाम
16 आना रैयत
मौजा-कौआखोदी,

आदेश-फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारीख..... जिला-साहेबगंज

केस के प्रकार-धारा - प्रधान बहाली वाद संख्या 12-/2019-20

आदेशकी क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारर सहित
1	2	3
<p>25.3.19</p>	<p>अंचल अधिकारी, उधवा के पत्रांक 444/रा० दिनांक 19.07.2019 के द्वारा मौजा-कौआखोदी के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा- कौआखोदी में दिनांक 15.07.2019 को हल्का कर्मचारी के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री मंडल टुडू पिता-स्व० गुलु टुडू, ग्राम-सुरंगा को मौजा- कौआखोदी में प्रधान के रूप में चाहते हैं तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा।</p> <p>अंचल अधिकारी, उधवा ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा- कौआखोदी एक प्रधानी मौजा है। जिसके पूर्व प्रधान दुबराज टुडू थे। इनके मृत्यु के बाद से उक्त मौजा का प्रधानी पद रिक्त है। ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री मंडल टुडू पिता-स्व० गुलु टुडू, ग्राम-सुरंगा, थाना-राधानगर, जिला-साहेबगंज को प्रधान के रूप में चयन किया गया है।</p> <p>श्री मंडल टुडू एक शिक्षित व्यक्ति है। ये पूर्व प्रधान दुबराज टुडू के पोता है। इनके प्रधान बनने से मौजा के किसी भी जमाबंदी रैयत ने अपत्ति दर्ज नहीं किया है। अतएव मंडल टुडू प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है।</p> <p>अतएव अंचल अधिकारी, उधवा के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक मंडल टुडू को मौजा- कौआखोदी में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा।</p> <p>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, उधवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	<p>आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तारर सहित</p> <p>आपत्ति 328/20 दिनांक 25-3-19</p>
<p>अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल।</p>	<p>अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।</p>	